

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/

दिनांक 13.07.2012

आदेश संख्या 129/2012-13

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों के स्थानान्तरण / पदस्थापन कालम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम	वि०विवरण
1	2	3	4	5
1.	अजय मेहता	पारिवारिक न्यायालय, जयपुर से स्थानान्तरणाधीन निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	रिक्त पद पर
2.	जगदीश प्रसाद	तहसील, कटूमर (अलवर)	उपकोषालय, पेंशन, अलवर	रिक्त पद पर
3.	राजेन्द्र कुमार बंसल	कोषालय, अजमेर से स्थानान्तरणाधीन संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर	अतिरिक्त कोषाधिकारी, पेंशन, अजमेर	श्री अजमेरा के स्थान पर
4.	राकेश अजमेरा	अतिरिक्त कोषाधिकारी, पेंशन, अजमेर	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर	श्री बंसल के स्थान पर

विभागीय आदेश के क्रम संख्या 76/12-13 दिनांक 31.05.2012 में क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री उमेश जोशी, क०लेखाकार का कार्या० महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर से कमाण्डिंग ऑफिसर द्वितीय राज नेशनल कंटेनर कोर, अजमेर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। वे कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में यथावत कार्यरत रहेंगे।

विभागीय आदेश के क्रम संख्या 82/12-13 दिनांक 31.05.2012 में क्रम संख्या 43 पर अंकित श्री मनीष जैन, क०लेखाकार का कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से कार्या० निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। वे कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में यथावत कार्यरत रहेंगे।

विभागीय आदेश के क्रम संख्या 82/12-13 दिनांक 31.05.2012 में क्रम संख्या 35 पर अंकित श्री सुभाष खण्डेलवाल, क०लेखाकार का कार्या० आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर से दन्त चिकित्सालय, जयपुर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। वे कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर में यथावत कार्यरत रहेंगे। क्रम संख्या 61 पर अंकित श्री लक्ष्मीनारायण यादव, क०लेखाकार के संबंध में कॉलम संख्या 5 में अंकित श्री खण्डेलवाल के स्थान पर के बजाय रिक्त पद पर पढ़ा जावे।

उक्त आदेश राज्य सरकार वित्त [राजस्व] विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (1) वित्त/राजस्व/ 2012 दिनांक 12.07.2012 (दो पत्र) के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं।

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/ 3794-3815 निदेशक

दिनांक:- 13.7.2012

1. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
2. उपशासन सचिव, वित्त [राजस्व] विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
4. कोषाधिकारी.....
5. निजी सहायक निदेशक महोदया.....
6. श्री क०लेखाकार कार्यालय
7. कम्प्यूटर शाखा [वेबसाईट हेतु].....
8. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका.....